न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट संख्या 75/न0/30/2023/जिला टोंक

रूकमणी बनाम अनिल कुमार व अन्य

दिनांकः—16.06.2023

आदेश

अभिभाषक श्री पी0के0जैन द्वारा दिनांक 31.08.2021 को बाज दायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार रूकमणी बनाम अनिल कुमार व अन्य प्रकरण में न्यायालय हाजा में दिनांक 16.12.2022 को अपील संख्या 15/2018 में सुनवाई के दौरान अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। इससे पूर्व न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2022 को रजिस्टर्ड ए0डी0 पेश करने का आदेश दिया था। जिसमें आगामी दिनांक 16.12.2022 नियत की गई थी। मगर समय के अभाव में आदेश की पालना नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा कोई जान बुझकर लापरवाही नहीं की गई। प्रकरण को पुनः नम्बर पर न्याय हित पर लिए जाने हेतु निवेदन किया।

बहस मौखिक सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। यह सही है कि दिनांक 16.12.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस पेश नही करने से पूर्व निर्देश दिनांक 21.10.2022 की पालना में विफल रहने से अदम तकमील में प्रकरण को खारिज कर दिया गया था। चूंकि अब वकील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 21.10.2022 की पालना करने हेतु सहमति दी है तथा न्यायहित को देखते हुए प्रकरण के मेरिट पर निस्तारण हेतु न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बाज दायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। प्रार्थीया का बाज दायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

16.6.2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner